भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 857

06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

cs?kj yksxksa ds fy, vkokl

857- **Jh nhid vfèkdkjh ¼nso½%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ izèkku ea=h vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds varxZr vc rd fdrus yksxksa dks vkokl feyk gS(

¼[k½ ns'k esa dqy fdrus O;fDr cs?kj gSa(vkSj

¼x½ ih,e,okbZ ds varxZr lHkh yksxksa dks dc rd vkokl fey tk,xk\

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का मूल्यांकन करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत मांग सर्वेक्षण करवाया है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई वैध मांग लगभग 1.12 करोड़ है।

इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, कुल 1,03,22,560 आवासों को स्वीकृति दी गई है; इनमें से, 60,50,991 आवास निर्माण के विभिन्न चरण में हैं तथा 32,07,573 पूर्ण कर लिए गए हैं/सुपुर्द कर दिए गए हैं।

जनगणना-2011 के अनुसार, देश में कुल आवासहीन लोगों की जनसंख्या 17,73,040 है (शहरी जनसंख्या - 9,38,348 और ग्रामीण - 8,34,692)।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे मार्च, 2020 तक स्वीकृत पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत उनकी शेष सभी आवास की मांग के लिए परियोजना प्रस्ताव लेकर आएं ताकि सभी आवासों के निर्माण को क्रमिक ढंग से वर्ष 2022 तक पूर्ण किया जा सके।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में "सबके लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 01-04-2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 01.02.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल 139.02 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं; जिनमें से, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 93.90 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में "सबके लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा मार्च, 2022 है।

******